

एवी-13011/1/2020-यूएस(एसएस)-एमओसीए

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

बी ब्लॉक, राजीव गाँधी भवन,

सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 21 मई, 2020

आदेश स. 01/2020

1. जबकि केंद्रीय कर्मचारी:

(i) विदित है कि भारत का अधिकतर भाग नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप से ग्रसित है, जिसके कारण पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर जनहानि हुई हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया है; तथा

(ii) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उड़ानों के द्वारा देश के भीतर बड़ी संख्या में एक साथ लोगों की आवाजाही भारत में उक्त वायरस के प्रसार और फैलाव में सहायक होगी तथा इस महामारी रोग के आगे फैलने से रोकथाम के लिए लोगों की इस प्रकार की आवाजाही निश्चित तौर पर प्रतिबंधित होनी चाहिए।

2. अतः, इसलिए, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के खंड 8ख के उप-खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निदेश देती है कि घरेलू नागर उड़ान प्रचालनों को 25 मई 2020 से उनकी ग्रीष्मकालीन अनुसूची 2020 की अपनी संबंधित अनुमोदित क्षमता के सीमित विस्तार तक निम्नानुसार अनुमति प्रदान की जाती है।

- (i) मेट्रो से मेट्रो शहरों में परिचालन के लिए – अनुमोदित ग्रीष्म अनुसूची 2020 की क्षमता का एक तिहाई (1/3)।
- (ii) मेट्रो से गैर-मेट्रो व इसके विपरीततया, शहरों में जहाँ सप्ताह में प्रस्थान सौ (100) से अधिक हैं, में परिचालन के लिए अपनी अनुमोदित ग्रीष्म अनुसूची 2020 की क्षमता का एक तिहाई (1/3)।
- (iii) मेट्रो शहरों से गैर-मेट्रो शहरों व इसके विपरीततया में जहाँ साप्ताहिक प्रस्थान सौ (100) से कम हैं वहाँ पर एयरलाइनें किसी भी रूट से परिचालन करने के लिए अनुमोदित ग्रीष्म अनुसूची 2020 की क्षमता का एक तिहाई (1/3) तक परिचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

- (iv) अन्य सभी शहरों के लिए- एयरलाइनें अपनी अनुमोदित ग्रीष्म अनुसूची 2020 का एक तिहाई (1/3) तक परिचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- (v) मेट्रो शहरों से तात्पर्य दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद तथा कोलकाता;
- (vi) ये प्रतिबंध आरसीएस उड़ान की उड़ानों के मामले में लागू नहीं हैं;
- (vii) इस आदेश की अनुसूची में वर्णित शहरों को इस प्रकार की उड़ान परिचालनों से बाहर रखा जाता है।

3. जबकि उपरोक्त को देखते हुए, संबन्धित हवाईअड्डा प्रचालकों तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से शीघ्र स्लॉट का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपरोक्त निर्दिष्ट पैरामीटर के अनुसार एयरलाइनों को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को उनके संशोधित घरेलू ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम 2020 को प्रस्तुत किए जाने का निदेश दिया जाता है।

4. यह आदेश 24 अगस्त, 2020 को भारतीय समय के अनुसार 2359 घंटे तक लागू रहेगा।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ह0/-21/5/2020

(सत्येन्द्र कुमार मिश्रा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

संलग्नक: कार्यक्रम

प्रतिलिपि:-

महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय को इस अनुरोध के साथ कि वे इस आदेश के अनुक्रम में एयरलाइनों के कार्यक्रमों (schedules) को प्रभावी करें।

प्रतिलिपि:

- i) नागर विमानन गृहराज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव,
- ii) सचिव नागर विमानन के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव,
- iii) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
- iv) वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/ सं. सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/ सं. सचिव (एडी)/सं. (एआर)/ सं. सचिव (आर ए)/ सं. सचिव (यू)/ ना.वि.मं

आदेश संख्या 01/2020 दिनांक 21.05.2020 खंड 2 (vii) की अनुसूची

शहर का नाम	शामिल/ गैर-शामिल
शून्य	शून्य